भारत गणराज्य की सरकार और चिली गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और चिली गणराज्य की सरकार इसके पश्चात
"संविदाकारी पक्षकार" उथवा "पक्षकार" कहा जाएगा,

वर्तमान मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की डच्छा से,

दोनों देशों के लोगों के बीच सभी प्रकार के सांस्कृतिक संबंधों को आगे और बढ़ावा देने तथा विकसित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं:-

अनुकेद ।

संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी राष्ट्रीय संस्कृतियों के प्रसार के लिए तथा उसके संबंध में जानकारी प्रदान करने के कार्य को सुकर बनाने के प्रति बचनवड़ हैं।

अनुकेद ।।

पूर्ववर्ती अनुरुदि में उल्लिखित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षकार अपने-अपने क्षेत्र में. संबंधित राजनियक मिशनों के प्रभार में दूसरे पक्षकार के स्थायी सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देंगे।

अनुकेद ।।।

अपनी-अपनी संस्कृतियों के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों पक्षकार एक दूसरे के क्षेत्र में किसी भी मान्यताप्राप्त अभिव्यक्ति के सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार कार्य में संलग्न व्यक्तियों के कार्यकलापों को सुकर बनाएंगे।

अनुकेद 11/

प्रत्येक पक्षकार अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं में स्थापित नियमों के अनुसार तथा शिक्षा के स्वरूप को ध्यान में रसते हुए अपनी-अपनी शैक्षिक आयोजना और कार्यक्रमों में दूसरे पक्षकार के इतिहास, भूगोल, कला व संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर विचार करने का प्रयास करेगा।

अनुकेद ।/

दोनों पक्षकार रेडियो, टेलीविजन, शैक्षिक केन्द्रों के बीच प्रकाशनों के आदान-प्रदान तथा अन्य कई समान माध्यमों के जिए अपनी-अपनी संस्कृतियों के प्रसार तथा जानकारी के लिए एक दूसरे को पारस्परिक रूप से सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसी प्रकार वे वर्ष में कम से कम एक बार सांस्कृतिक प्रदर्शनियों शिष्टमंडलों एवं कलात्मक मंडिलियों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देंगे।

अनुकेद ।/।

दोनों पक्षकार प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक संबंधों के विकास, शिक्षण एवं शैक्षिक कार्यकलाप को बढ़ावा देंगे और दोनों देशों के शिक्षकों, छात्रों, वैज्ञानिक एवं कलात्मक विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देंगे।

अनुकेद 1/11

प्रत्येक पक्षकार एक संयुक्त आयोग दारा निर्धारित नियमों एवं पद्यतियों के अनुसार विशिष्ट निष्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने शैक्षिक केन्द्रों अथवा दूसरे पक्षकार के राष्ट्रीय केन्द्रों में छात्रवृत्तियां प्रदान करने पर विचार करेगा।

अनुस्केद 1/111

इस करार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविदाकारी पक्षकारों की सरकारों दारा नियुक्त समान संख्या वाले प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति या कार्यदल की स्थापना की जाएगी, जिसकी बैठकें दोनों देशों की राजधानियों में बारी-बारी से होंगी।

संयुक्त सिमिति या कार्यदल इस करार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निष्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अध्ययन, विचार-विमर्श, अनुमोदन और अनुवीक्षण करेगा।

संयुक्त सिमिति या कार्यदल इस करार के निष्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रस्ताव कर सकता है, जो दोनों संविदाकारी पक्षकारों के विधिक अनुमोदन के अध्याधीन होगा।

अनुके 1×

यह करार हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से अस्थायी तौर पर और अनुसमर्थन-दस्तावेज के आदान-प्रदान की तिथि से स्थायी तौर पर लागू होगा और पांच वर्षों तक वैध रहेगा।

इस करार का नवीनीकरण 5 वर्षों की और अवधि के लिए तब तक स्वतः होता रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इसकी समाध्ति से छः माह पूर्व इसे समाप्त करने के अपने आशय की लिखित सूचना न दे दे।

पहले से ही निष्पादित या प्रगति पर चल रही परियोजना और कार्यक्रम इसकी समाप्ति से प्रभावित नहीं होंगे। संविदाकारी पक्षकारों की पारस्परिक सहमित से इस करार को परिशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप अपनी-अपनी सरकारों दारा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत किए जाने पर निम्नलिखित ने इस करार पर इस्ताक्षर कर दिए हैं और इस पर अपनी-अपनी मुहरें लगा दी हैं।

नई दिल्ली में, 1914 १शक के पौष माह के 23वें दिन तदनुसार 1993 १ई-स-१ के जनवरी, माह के 13वें दिन हिंदी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं, प्रत्येक में दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। संदेह की स्थित में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सस्कार की ओर से चिली गणराज्य की संस्कार की ओर से

Opened.

 ्र्रपडुआर्डी ऑरीटज्र् भारत में चिली के

राजदूत

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

Willing to strengthen the existing friendship bonds;

Desirous to promote further and develop all cultural relations between the people of the two countries:

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Contracting Parties undertake to facilitate within their territories the spreading of knowledge of their respective national cultures.

ARTICLE II

In order to achieve the goal stated in the preceding article, the Parties will stimulate the establishment, in their territories, of permanent cultural centres from the other Party under the charge of the respective Diplomatic Missions.

ARTICLE III

With a view to spread the knowledge of their respective cultures, the Parties will facilitate the activities of persons engaged in cultural propagation functions in any of its acknowledged expressions in each other's territory.

ARTICLE IV

Each Party shall try to contemplate in its educational plans and programmes the spreading of the other Party's history, geography, art and culture according to the nature of the studies and pursuant to the rules established in the respective educational institutions.

ARTICLE V

The Parties will grant each other mutual facilities for the knowledge and spreading of their respective cultures through the press, radio, television, exchange of publications between academic centres as well as any other similar media. In the same manner, they shall promote the exchange of cultural exhibitions, delegations and artistic troupes at least once a year.

ARTICLE VI

The Parties shall make efforts to promote the development of educational relations on every level, teaching and academic activity, and shall encourage the exchange of teachers, students, scientific and artistic experts from both the countries.

ARTICLE VII

Each Party shall consider the granting of scholarships in its own academic centres or in the other Party's national centres, in accordance with the rules and procedures to be determined by a Joint Committee or working group through specific execution programmes.

ARTICLE VIII

In order to achieve the objectives of this Agreement, a Joint Committee or Working Group composed of an equal number of representatives appointed by the Governments of the Contracting Parties will be established, which shall meet every year alternately in the capitals of both the countries.

The Joint Committee or Working Group shall study, discuss, approve and see to the implementation of the execution programmes necessary to achieve the objectives of the Agreement.

The Joint Committee or Working Group may propose the implementation of execution programmes of this Agreement, which shall be subject to the legal approval of both the Contracting Parties.

ARTICLE IX

This Agreement shall enter into force provisionally on the date of its signing and definitively on the date of exchange of Instrument of Ratification and shall remain valid for five years.

This Agreement shall be tacitly renewed for successive period of 5 years. unless either of the contracting parties gives to the other a notice in writing six months in advance of its intention to terminate the Agreement before its expiry period.

The project and programmes already executed or in progress shall not be affected by its termination.

This Agreement may be modified or amended by mutual consent of the Contracting Parties.

WITNESS WHEREOF the understoned being authorised thereto by their respective Governments have hereinto signed this Agreement and affixed thereto their seals.

Signed at New Delhi on this Thirteenth day of January in the year Nineteen hundred and Ninety Three corresponding to Pausa Twenty Three, Saka Nineteen Fourteen, in two originals each in Hindi, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE

(KEMAL ANAND) JOINT SECRETARY DEPARTMENT OF CULTURE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DR. EDUARDO ORTIZ) AMBASSADOR OF CHILE IN INDIA